...रवाई या ...ष्टी	आज्ञा विस्तृत रूप से
	अवलोकन करने से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होती है तथा प्रार्थी को किसी प्रकार की हानि भी नहीं है अतः प्रार्थी का T.I. प्रार्थना पत्र सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश मजलिस आम में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी सॉभर लेक

Scanned by CamScanner